

## मंदिर में मूर्तको जीवति व्यक्तिके रूप में मान्यता

स्रोत: द हट्टि

हाल ही में, **मद्रास उच्च न्यायालय** ने पाया कि **असपृश्यता** के मुद्दे पर समुदायों के बीच विवाद के कारण **10 वर्षों तक बना प्रथागत पूजा के मंदिर को बंद करने से जुड़े एक मामले** के दौरान एक **मूर्तको कानून में एक न्यायिक व्यक्तित्व के रूप में माना गया है**।

- न्यायालय ने मंदिरों के अवैध तौर पर बंद होने को रोकने और उपासना अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया।
- न्यायालय ने यह भी माना कि **मंदिर में मूर्तके पास संपत्ति रखने और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार** होता है। मंदिर को उपासना और प्रथागत अनुष्ठानों के लिये खुला रहना चाहिये।
- मूर्तके न्यायिक व्यक्तित्व पर विचार के साथ यह सुनिश्चित करते हुए कि दैनिक धार्मिक अनुष्ठान जारी रहे, न्यायालय ने मूर्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिये **पेरेंस पेट्रिया कर्षेत्राधिकार** का प्रयोग किया।
  - **पेरेंस पेट्रिया का सदिधांत**, जिसका अर्थ है 'राष्ट्र का अभिभावक', एक कानूनी सदिधांत है जो राज्य को उन लोगों, जो स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं, के लिये अभिभावक/माता-पिता के रूप में कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति और अधिकार प्रदान करता है।
  - भारत में, यह सदिधांत अपने नागरिकों के कल्याण और हितों की रक्षा के लिये देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **1992 के मंदिरों के विध्वंस (2000)** में परिभाषित न्यायिक व्यक्तिके, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त इकाई है, एक कानूनी व्यक्तित्व होता है, जिसमें देवी-देवता, नगिम, नदियाँ और जीव-जंतु शामिल होते हैं।

और पढ़ें: [जीवति इकाई के रूप में नदियों का नरूपण](#)